न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 51/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/ 00052)

ओमप्रकाश उर्फ प्रकाशचन्द्र स्व. भूराराम जाति नाई निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू।
2. न्यायालय जिला कलेक्टर चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री सुनील भाटी – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18.11.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 19.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार सुजानगढ (चूरू) ने अपने निर्णय दिनाक 18.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बीड़ छापर के खं. नं. 35 गै. मु. सिवाय चक की 8.01 बीधा भूमि पर पश्चात वर्ती अतिक्रमण का दोष सिद्व होने पर इन्है एक माह की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू मे पेश कर तहसीलदार सुजानगढ के आदेश को खारिज करने तथा सिविल कारावास का आदेश भी खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.09.2019 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार सुजानगढ को प्रेषित कर [illegible] किया कि अपीलान्ट को मौके पर बेदखल का निर्णय [illegible] 2017 की पालना की जावे। उक्त निर्णय के विरूद्व अपील [illegible] द्वितीय अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अ[illegible] अधिकारी चूरू, बीकानेर में प्रस्तुत कर दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। क्षेत्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Aziz ul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

परिर्वतन होने के कारण भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी चूरू, बीकानेर द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि वागग्रस्त खं. नं. 35 तादादी 8.01 बीधा काबिल काश्त कृषि भूमि वाके छापर, बीड़ चली आ रही है, जो पूर्व आवन्टी चोखाराम पुत्र अणदाराम जाति दर्जी निवासी छापर की थी, जिसे जरिये ईकरारनामा दिनांक 03.05.1984 को रामी देवी ने खरीद किया था और रामी देवी से जरिये ईकरारनामा दिनाक 21.10.1986 को अपीलान्ट ने खरीद किया। तब से ही अपीलान्ट लगातार काबिल काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कब्जा काश्त चली आ रही है। संवत 2059 गिरदावरी से भी काश्त होना प्रकट होता है। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को संवत 2073–74 अर्थात 2016–17 में अतिक्रमी माना जो प्रथम दृष्टया राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेज और साक्ष्य के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 25.08.2017 को प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट पर उसी दिन भू– अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने का आदेश जारी किया। पांच दिन में आगामी पेशी उसी दिन अपीलान्ट को अधूरा नोटिस नियम विरूद्व जारी किया, दिनांक 30.08.2017 को अपीलान्ट की उपस्थिति नही लिखकर जवाब साक्ष्य का मौका नही दिया तथा पटवारी के बयान दिनांक 11.09.2017 को एकतरफा लेकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट पिछड़ी जाति का गरीब भूमिहीन किसान है। मात्र 8 बीधा भूमि पर काबिज काश्त करता आ रहा है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 14 (4) धारा 20 के मुताबिक नियमन करवा[illegible]दार हो चुका है। उक्त भूमि कभी भी [illegible] नही है। [illegible] ना ही जोहड़, गोचर अथवा चारागाह की अन्य [illegible] है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.02.1983 परिपत्र सं. प [illegible] राज (4) /77/12 दिनांक 01.04.1991 के मुताबिक गैर मुमकीन भूमि पर भूमिहीन पिछड़ी जाति का होने के कारण 15 बीधा से कम भूमि होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Aziz Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:32 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के कारण आवंटन योग्य है। अपीलान्ट 25 वर्ष से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसी प्रकरण से संबधीत मामला राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नही किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर दोनो अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2019 एवं 18.09.2017 को खारिज किया जावे, तथा सिविल कारावास का आदेश भी खारिज किया जावे। अपीलान्ट के हक में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य सबूत लेने हेतु मौका दिया जावे और राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलान्ट की अपील वादगत भूमि नियमित किए जाने को निर्देश फरमावें। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2006 पृष्ठ 69, RRD 1994 पृष्ठ 207, RRD 1980 पृष्ठ 483, AIR 1995 (S C) पृष्ठ 425, Law Of Land Revenue in Rajasthan Sec. 91 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम बीड़ छापर के खसरा नं. 35 की 8.01 बीधा भूमि पर पश्चात वर्ती अतिक्रमण मानते हुए एक माह का सिविल कारावास एव बेदखली किये जाने के निर्णय दिनांक 18.09.2017 के विरूद्व जिला कलक्टर चूरू के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के निर्णय दिनाक 18.09.2019 जिसके द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की गई है, के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नही दिया गया, पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया, [illegible] पूर्व में कभी बेदखल नही किया गया [illegible] की पत्रावली सं. 7/2017 का अवलोकन किया गया [illegible] दिनांक 25.08.2017 अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, दिनाक 30.08.2017 को पटवारी को बयान हेतु लिखने के आदेश दिये गये, दिनांक 11.09.2017 को पटवारी हल्का द्वारा लिखित बयान पेश हुवे

Signature Not Verified
Digitally signed by Aziz ul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:32 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

और पत्रावली निर्णय हेतु दिनाक 18.09.2017 नियत की गई। दिनांक 18.09.2017 को अप्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 13.09.2017 को शामिल करते हुए निर्णय पारित किया गया। बयान पटवारी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी ने अपने ब्यान में " में दिलिप सिह पुत्र भागीरथ सिह कोम राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल निवासी पटवारी पटवार मण्डल देवाजी पर कार्यरत हुं। मेरे द्वारा गिरदावरी करते वक्त अतिक्रमी ओमप्रकाश पुत्र भूराराम कोम नाई निवासी छापर के द्वारा ग्राम बीड़ छापर के खसरा सं. 35 तादादी 16.01 मे से 8.01 बीधा पर सम्वत 2074 मे बाजरी की फसल काश्त पर अतिक्रमण जाना पाया जिसकी मेरे तहसील कार्यालय मे 25.8.17 को रिपोर्ट कर दी गई है। अतिक्रमी के द्वारा पिछले वर्ष 2073 संवत मे भी इस भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। " इन बयानो में अपीलान्ट को बेदखल करने का कोई कथन नही है। अपीलान्ट को बयान पटवारी से जिरह का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट ने तहसीलदार सुजानगढ के संमक्ष प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया कि विवादित भूमि के संदर्भ मे राजस्व अपील अधिकारी चूरू (बीकानेर) मे अपील विचाराधीन है तथा कथन के समर्थन मे राजस्व अपील अधिकारी चूरू की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमे तहसीलदार सुजानगढ पक्षकार है, परन्तु इस तथ्य पर भी कोई गौर नही किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे न्यायालय जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण जिला कलक्टर चूरू को प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पुन निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित [illegible] हो। पत्रावली [illegible] हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल द[illegible] रहे [illegible] निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को [illegible] जाकर सा[illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:32 IST
Reason: SelfAttested

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर